निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1940 (श0)

(सं0 पटना 749) पटना, शुक्रवार, 3 अगस्त 2018

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

3 अगस्त 2018

सं० एल0जी0-01-11/2018/81/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 31 जुलाई 2018 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 12, 2018)

बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2018

बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 13, 2006) (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना । चूँकि, बिहार राज्य में मत्स्य विकास की अपार संभावनाएँ है;

और, चूँकि, राज्य सरकार द्वारा परम्परागत मछुआरों को प्रशिक्षित करते हुए और तकनीकी सहायता देते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं;

और, चूँकि, राज्य सरकार की यह नीति है कि जलकरों की बन्दोबस्ती, मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ किया जाए, ताकि बेहतर प्रबंधन से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध हों;

और, चूँकि, प्रखण्ड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सदस्यों के बीच विवाद की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रावधानों को और स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

भारत–गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ । –

(1) यह अधिनियम बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा – 5 में संशोधन। – (1) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा –5 की उपधारा (i) में प्रयुक्त शब्द **''सात''** को शब्द **''पाँच''** द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायेगा :–

''मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ जितनी अवधि के लिए जलकरों की बंदोबस्ती की जायेगी, उतनी ही अवधि के लिए समिति, अपने सदस्यों को बंदोबस्ती करते हुए पट्टा निर्गत करेगी''।

(2) धारा– 5 के अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :–

''परन्तु नई बन्दोबस्ती की अवधि, प्रबंध समिति के कार्यकाल की अवधि तक सीमित रहेगी''।

3. बिहार अधिनियम 13, 2006 की धारा –7 में संशोधन – (1)उक्त अधिनियम 2006 की धारा –7 (xii)(ख) में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :–

''सदस्य, समिति एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी के बीच समस्त राशि का लेन–देन बैंक खाता के माध्यम से ही होगा''।

(2) उक्त अधिनियम 2006 की धारा –7 (xii)(ड.) में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :–

''जिला मत्स्य पदाधिकारी से परवाना प्राप्त होते ही समिति तत्क्षण अपने सदस्यों को स्थायी पट्टा निर्गत करेगी''।

4. बिहार अधिनियम 13, 2006 की धारा –13 में संशोधन। उक्त अधिनियम 2006 की धारा –13 (iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''मछलियों के आने–जाने के रास्ते पर बाड़ी या किसी प्रकार का घेरा, नदियों एवं जलाशयों में, प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 अगस्त तक की अवधि के लिए ही प्रतिबंधित होगा''।

5. बिहार अधिनियम 13, 2006 की धारा –17 में संशोधन । – उक्त अधिनियम 2006 की धारा –17 की उपधारा (i) के खंड (ड.) के बाद निम्नलिखित नया खंड (च) जोड़ा जायेगाः–

''बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा –7 (ii) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बिना किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति द्वारा अपने सदस्यों के साथ की गई बन्दोबस्ती की अवधि में परिवर्तन करना''।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन ,
सरकार के सचिव।

3 अगस्त 2018

सं० एल०जी०–01–11/2018/82/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2018 को अनुमत **बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2018** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन ,
सरकार के सचिव।

————

(Bihar Act 12, 2018)

Bihar Fish Jalkar Managemet (Amendment) Act, 2018.

AN

Act

To amend the Bihar Fisheries Jalkar Management Act, 2006 (Bihar Act, 13 of 2006)

(As amended time to time)

Preamble: Where as there is immense potential of fisheries development in The State of Bihar.

And whereas, the State has launched various programmes to enhance fish production by introduction of technology and imparting training to the traditional fishermen;

And whereas, the policy of State Government is to settle Jalkars' with Fishermen Co-operative Society so that there is enhancement in fish production along with creating avenues of livelihood;

And whereas, to put an end to the disputes due to increase in the number of members of Fishermen Co-operative Societies in each block, it is necessary to clarify the provisions of the Act.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty ninth year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, extent and commencement. —

(1) This Act may be called the "The Bihar Fish Jalkar Management (Amendment) Act, 2018".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come in to force with immediate effect.

2. Amendment in Section-5 of The Bihar Act 13, 2006.—

(1) The word "Seven" used in sub section(i) of section -5 of said Act 2006 shall be substituted by word 'five' and there after a following sentence shall be added :—

"The fishermen Co-operative Society shall settle its Jalkar to its members and shall issue patta for the same period as it is settled to the Co-operative Society."

(2) The following proviso shall be added at the end of section- 5.—

"Provided that the period of new settlement shall be limited to the period of the tenure of the Managing Committee."

3. Amendment in the Section- 7 The Bihar Act 13, 2006.—

(1) The following sentence shall added in section -7 (xii) (b) of the said Act, 2006:—

"All financial transaction between members, Co-operative Society and District Fisheries Officer shall be only through bank account".

(2) The following sentence shall added in section-7 (xii) (e) of the said Act, 2006 :—

"After the receipt of parwana from District Fisheries Officer, Co-operative Society shall issue permanent patta to its member immediately".

4. Amendment in Section- 13 of The Bihar Act 13, 2006 :- Sub Section- 13(iv) of the said Act 2006 shall be substituted by the following :—

"Putting fences or any obstruction restricting the movement of fishes shall be prohibited in river and reservoirs only for the period of 15th June to 15th August of each year".

5. Amendment in Section- 17 of The Bihar Act 13, 2006.- The following clause (f) shall be added after clause (e) of sub section (i) of section -17 of the said Act, 2006 :-

"Any Fishermen Co-operative Society, having changed the period of settlement of Jalkars, given to its members without the approval of Competent authority under Section 7 (ii) of the Bihar Fish Jalkar Management Act, 2006."

By order of the Governor of Bihar,
AKHILESH KUMAR JAIN,
Secretary to the Government.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 749-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in